न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–5/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–435/2026

कम्प्यूटर संख्या–768/2026

CNR NO-UPBR01-003042-2026

मनीश श्रीवास्तव पुत्र खेवालीराम, निवासी हैवतपुर थाना अलीगंज, जिला बरेली।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ———— अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–216/2025
धारा–143(2), 3(5) बी0एन0एस0
थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली।

दिनांक: 07.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त मनीश श्रीवास्तव की ओर से मुकदमा अपराध सं0 216/2025, अन्तर्गत धारा 143(2), 3(5) बी0एन0एस0 थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली में न्यायिक अभिरक्षा में है, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु दिया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह नामजद नहीं है। पीडिता वालिग है, उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं बतायी गयी है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह कहते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है कि अभियुक्त द्वारा मुख्य अभियुक्ता गीता के साथ मिलकर के पीड़िता को को बब्लू नाम के व्यक्ति के साथ शादी करने को दबाव बनाया और पैसे लेकर के उसकी शादी करा दी, जिसमें अभियुक्त द्वारा मुख्य अभियुक्ता गीता का साथ दिया गया। पीड़िता द्वारा अपने माता पिता को फोन किया गया, जिस पर उसके माता पिता ने उसे बचाया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5. वादी मुकद्मा भूपराम द्वारा दिनांक 23.05.2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि वादी की पुत्री पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष को घर से दिनांक 13.05.2025 को समय दोपहर 12.00 बजे विपक्षी गीता अपने साथ अमरोहा विवाह समारोह में दावत खिलाने के बहाने ले गयी थी, तभी से उसकी पुत्री घर पर वापस नहीं आयी। उसने जब गीता से पूछा तो गीता ने कहा कि एक दो दिन में आ जायेगी। उसके द्वारा गीता के घर जाने पर गीता ने कहा कि तुम्हारी पुत्री ग्राम दाउ सराय अमरोहा में है, तुम्हें चलना पड़ेगा, तब दिनांक 15.05.25 को वादी व उसकी पत्नी गीता के साथ ग्राम दाउसराय अमरोहा गये तो गीता उन्हें एक घर में यह कहकर कि अभी तुम्हारी बेटी आयेगी वहॉ से फरार हो गयी, तब से गीता का फोन नहीं उठ रहा है। उसे वहॉ जाने पर पता चला कि उसकी पुत्री को गीता ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ सौदा कर बेंच दिया है। उसकी बेटी का अज्ञात नम्बर से वादी की पत्नी के मोबाईल पर कॉल आया और बताया कि उसे कुछ अज्ञात लोगों ने एक घर के कमरे में बन्द कर रखा है, यहॉ गीता उसे छोडकर गयी थी। यह लोग पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहे है और उसके साथ किसी भी समय गैंगरेप कर सकते है। उसने कहा कि मम्मी पापा किसी तरह से यहॉ से निकालकर ले जाओ वर्ना वह जीवित नहीं रहेगी। उसकी पुत्री बहुत परेशान है और किसी तरह उस नर्क से निकलकर अपने माता पिता के पास आना चाहती है।

6. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना फतेहगंज पश्चिमी में दिनांक 23.05.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 216/2025 धारा–143(2), बी0एन0एस0 का अभियोग अभियुक्ता गीता के विरूद्व पंजीकृत किया गया।

7. पीड़िता के बयान न्यायालय में अन्तर्गत धारा–183 बी0एन0एस0एस0 इस आशय के अंकित किये गये कि मेरी जान पहचान गीता से पिछले एक साल से है, वह कभी–कभी घर आती थी। वह ताई कहकर उसको बुलाती थी, इसी महीने की 13 तारीख की बात है, गीता उसके घर आयी और उससे कहा कि उसके साथ दावत पर चलो वह गयी तो मुरादाबाद में आकर उसने आगे एक हाल में अमरोहा में ले गयी वहॉ ले जाकर उसे जान से मारने की

धमकी दी, उसे डराकर लंहगा कराया और उसकी शादी जबरदस्ती बब्लू के नाम के लड़के से करा दी, उसने उस लड़के बब्लू को पहली बार देखा था गीता के साथ मनीष नाम का एक आदमी था, जो गीता की मद्द कर रहा था। बब्लू उससे शादी करके अपने घर ले गया, उसने बब्लू से कहा कि उसे घर जाना है, उसकी जबरदस्ती शादी हुई है, वह इसे नहीं मानती, तो बबलू ने उसकी बात मम्मी से करा दी, फिर मम्मी पापा उसे घर ले आये। बबलू ने बताया कि गीता ने शादी करने के तीन लाख रूपये उससे लिये।

7. अभियुक्त की भूमिका के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में यह कहा है कि गीता के साथ एक आदमी जो गीता की मद्द कर रहा था। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा शादी के फोटोग्राफ संकलित किये है उसमें अभियुक्त मनीष पीड़िता के साथ बैठा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025(3) सी.सी.एस.सी. 1268** में अभियुक्त की जमानत के सम्बन्ध में मानव दुर्व्यापार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति अभियुक्त/आवेदक की उक्त अपराध में संलिप्तता तथा उसके कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं पाता है। अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मनीष श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मु0अ0सं0–216/2025, अन्तर्गत धारा 143(2), 3(5) बी0एन0एस0, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली में निरस्त किया जाता है।

(तबरेज अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट बरेली।
J.O .Code N0. UP-6298

Digitally signed by Tabrez Ahmad
Date: 2026.03.07 17:49:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court